न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/14/2001	02.02.2001	05.08.2019

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़
2. रतन सिंह पुत्र गंगाबक्श (मृतक)।
   2/1 हुकमसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/2 नरेन्द्र सिंह पुत्र रतनसिह गुर्जर
   2/3 कमलसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/4 मोहनसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर (मृतक)
   2/4/1 श्रीमती पिंकी बेवा स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/2 बेबी शैली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर, जर्ये सरपरस्त माता खुद मु0 श्रीमती पिंकी पत्नी मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/3 बेबी डोली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर, जर्ये सरपरस्त माता खुद मु0 श्रीमती पिंकी पत्नी मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/4 मास्टर रोहित पुत्र स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर जर्ये सरपरस्त माता खुद मु0 श्रीमती पिंकी पत्नी मोहनसिंह गुर्जर
   2/5 श्रीमती ललता देवी पत्नी रतन सिंह
3. किशन सिंह पुत्र गंगाबक्श जाति गुर्जर (मृतक)
   3/1 श्रीमती शीला पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/2 कविता उर्फ किरण पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/3 मु0 गायत्री पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/4 मु0 सविता पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/5 रेखा पत्नी स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर(फौत)
   3/6 ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर जातियान गुर्जर निवासीयान चौरोटी पहाड तहसील रामगढ

.....वादीगण

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   1/1 सोभागसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/2 गोपालसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/3 धारासिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/4 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/5 बहादुरसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/6 हरिबाई पुत्री स्व0 देवीसिंह
   1/7 उर्मिला पुत्री स्व0 देवीसिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. विजयसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   2/1 रमेश चन्द उर्फ रम्मी पुत्र विजय सिंह (मृतक)
   2/2 राजू पुत्र विजय सिंह

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

2/3 निम्मा स्त्री मोहनलाल पुत्री विजय सिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, रामगढ़

(दावा तकसीम व दिलाये जाने दखल बाबत)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री धर्मपाल चौधरी एडवोकेट – वादीगण
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – प्रतिवादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा जिसके फरीकेन खातेदार है और आराजी में वादी सं0 1 का 1/3 भाग तथा वादी सं0 2 व 3 का 1/3 भाग तथा प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है और इन्हीं हिस्सों के मुताबिक फरीकेन इस आराजी के खातेदार काश्तकार है। जो आराजी वाद में विवादित है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। इनके पिता यानि वादी सं0 1 के पिता लक्ष्मीनारायण, वादी सं0 2 व 3 के पिता गंगाबक्श तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता गणपत सिंह सगे भाई थे जो रघुनाथसिंह के पुत्र थें। और गणपत सिंह उनमें सबसे बडा था और उसके बाद क्रमशः लक्ष्मीनारायण और गंगाबक्श थे और अब ये तीनों भाई गणपत सिंह, लक्ष्मीनारायण, वो गंगा बक्श मर चुके है। और वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 व 2 उनके वारिसान है जो कि उनके पुत्र है। जब वादीगण का पिता मरे तब वादीगण नाबालिग थे तब और प्रतिवादीगण ही उनके नाबालिग के दौरान उनके हिस्से की आराजी तथा अपने हिस्से की आराजी मुतनाजा पर इन्तजाम करते थे और बालिग होने पर वादी सं0 1 भारतीय फौज में बतौर सिपाही नम्बर 632521 मुलाजिम हो गया और अब वादी सिग्नल कोर में मुलाजिम है। और आर्मी हैड क्वार्टर सिग्नल रेजीमेन्ट देहली में अब भी मुलाजिम है। वादीगण प्रतिवादीगण के शामलात में आराजी मुतनाजा की अब तक काश्त करके इसकी पैदावार का लाभ उठाते रहे। मगर जून 1977 से प्रतिवादीगण के दिल में

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

बेईमानी आ गयी। और वे कहते है कि आराजी मुतनाजा पर उनके अकेले की गिरदावरी वो काश्त का इन्द्राज है। वादीगण को अयन्दा शामलात में इस भूमि का उपयोग नही करने देंगे। और ना ही काश्त करने देंगे और ना पैदावार में हिस्सा लेने देंगे। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को 16 जून 1977 को यह कहा कि वे आराजी पर हिस्स नही देंगे।बाहमी तौर तकसीम कर लें। और आराजी मुतनाजा का लगान भी जो राज्य सरकार द्वारा 25 रूपये 09 पैसे कायम है उसे अपने–अपने हिस्सों में मुताबिक तकसीम कर ले। और वादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा की आराजी अलग तकसीम कर दे और वादी सं0 2 व 3 के 1/3 हिस्से की आराजी अलहेदा तकसीम कर ले। तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हिस्से की आराजी अलग तकसीम कर ले और अपने–अपने हिस्से की आयी हुई आराजी पर अलहेदा काश्त कर ले मगर प्रतिवादीगण ऐसा करने से 16.06.77 को इन्कार हो गये जिस हेतु तकसीम करना लाजिम हुआ। वादीगण अपने हिस्से की आराजी अलहेदा तकसीम कराना और उस पर अलहेदा कब्जा लेना और आराजी मुतनाजा की लगान 25 रू0 09 पैसे की अपने–अपने हिस्से के मुताबिक तकसीम करना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की नाबालिगी के दौरान तथा बाद में भी हमसे बडे होने के कारण और कुटुम्ब में भी मुखिया होने के कारण उक्त जमीन की काश्त का इन्द्राज मार्फत प्रतिवादी सं0 2 विजयसिंह मजकूर करा दिया। जिसका कि उन्हें कराने का कोई हक नही थ। क्योकि वादीगण ने कभी भी अपने हिस्से की आराजी 2/3 भाग प्रतिवादी विजय सिंह को काश्त करने को नही बतायी। न उससे कोई लगान तय किया और न कभी लगान प्राप्त किया। बल्कि सम्मिलित तौर पर ही आराजी काश्त होती रही है। और यदि इन्द्राज विजय सिंह मजूकर के अनुसार केवल प्रतिवादी का ही कब्जा माना जावे तक भी कानूनन एक हिस्सेदार का कब्जा सब हिस्सेदारी का कब्जा माना जाता है। इसलिए भी वादीगण का आराजी में मुतनाजा 2/3 भाग होने के कारण वे आराजी मुतनाजा के तकसीम कराने के हकदार है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री तकसीम आराजी मुतनाजा सादिर फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0.18 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर में वादी सं0 1 का 1/3 भाग अन्य फरीकेन के हिस्से से अलग किया जावे इसी प्रकार वादी सं0 2 व 3 का 1/3 भाग आराजी मुतनाजा का अन्य फरीकेन के भाग से पृथक किया जावे और प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का 1/3 भाग वादीगण के भागों से पृथक किया जावे और उपरोक्त पक्षकारों को उनके हिस्से के मुताबिक अलग–अलग आराजी तकसीम की जाकर सभी को अपने–अपने हिस्से हिस्से में आने वाली आराजी पर दखल दिलाया जावें। आराजी मुतनाजा का लगान 25 रू0 09 पैसे तकसीम किया जाकर वादी सं0 1 के हिस्से में आने वाली जमीन का लगान अलहेदा कायम किया जावे और इसी प्रकार वादी सं0 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हिस्से में आने वाली जमीन का लगान अलग–अलग कायम किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दावे का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 651 रकबा 13 बिस्वा, 211 रकबा 1 बिस्वा, 759 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, 68 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 73 रकबा 14 बिस्वा, 746 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की बिस्वेदारी की थी जिसमें वादीगण 2/3 हिस्से के बिस्वेदार एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 – 1/3 हिस्से के बिस्वेदार थे और राजस्थान बिस्वेदारी अधिनियम उन्मूलन 1959 रायज होने के दिन इस भूमि पर सालिम पर प्रतिवादी सं0 02 विजयसिंह काश्त करता था और उसका कब्जा काश्त तथा इस कारण राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 29 के तहत प्रतिवादी सं0 2 इस भूमि सालिम का मालिक काबिज काश्तकार खातेदार था और वोह ही इस भूमि को काबिज रहकर काश्त करता रहा और जमा सरकारी अदा करता रहा । जिसकी ताईद में गिरदावरी स्लिप सम्वत 2015 से होती है और वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्थान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के रायज होने के दिन से कभी भी इस भूमि को काश्त नही किया और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के रायज होने के दिन भी इस भूमि पर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

हमारा कोई कब्जा काश्त नही था। इस कारण हमारे बिस्वेदारी हकूक राज्य सरकार में निहित हो गये और प्रतिवादी सं0 2 जो कि इस भूमि पर बिस्वेदारी उन्मूलन रायज होने के दिन काबिज था यह इस सालिम भूमि का मालिक काबिज काश्तकार खातेदार हो गया। ऐसी स्थिति में इस भूमि विवादग्रस्त को तकसीम कराने का कोई अधिकार वादीगण तथा मुझ प्रतिवादी सं0 1 को नही है। प्रतिवादी सं0 2 मालिक काबिज काश्तकार खातेदार ने इस सालिम भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.11.68 के मिन प्रतिवादी सं0 1 को बैय कर दी और कब्जा दे दिया तभी से मिन प्रतिवादी सं0 1 इस सालिम भूमि पर बहैसियत खरीददार मालिक काबिज काश्तकार खातेदार के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और काबिज है एवं जमा सरकारी अदा करता चला आ रहा है और मौके पर मेरा कब्जा है। भूमि बिस्वेदारी की थी जैसा कि वादीगण ने अपने दावे में भी माना है। ऐसी स्थिति में जब बिस्वेदारी हकूक राजस्थान राज्य सरकार में सन् 1959 में वेस्ट हो गये तो ऐसी स्थिति में दावा करने से पूर्व वादीगण को राजस्थान सरकार को नोटिस जेर दफा 80 जा0 दी0 देना चाहिए था। बिला नोटिस दिये दावा वादीगण चलने योग्य नही है। राजस्थान राज्य सरकार के नुमाईन्दे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर है। परन्तु वादीगण ने तहसीलदार रामगढ को राज्य सरकार को राजस्थान सरकार का नुमाईन्दा दर्ज करके गलत फरीक बनाया है। दावे की इबारत तस्दीक मुताबिक सिविल रूल्स के नही है । ऐसी स्थिति में भी दावा वादीगण काबिल इखराज है और खारिज होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जवाब इस प्रकार है कि आराजी मुतनाजा बिस्वेदारी की आराजी थी जो मिन प्रतिवादी सं0 2 के कब्जे काश्त में थी जो बरोज लागू होने बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम भी मिन प्रतिवादी सं0 2 के ही कब्जे काश्त में थी कि जिससे मुताबिक प्रावधान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम प्रतिवादी सं0 2 ही आराजी मुतनाजा पर काबिज होने के कारण आराजी मुतनाजा का मालिक बन चुका है और उक्त कानून के लागू होने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के आराजी मुतनाजा में अब कोई हकूक शेष नही रहे है जो भी हकूक वादीगण के थे वे राज्य सरकार में निहित हो चुके है। और वादीगण को उसका मुआवजा भी मिल चुका है कि उक्त वाकेयात के पश्चात पिछले 20 साल से मिन प्रतिवादी सं0 2 ही तन्हा रूप से स्वयं के हकूकों के आधार पर आराजी मुतनाजा पर

उप खण्ड अधिकारी
गढ़ (अलवर)

काबिज है और उसका उपयोग करता चला आ रहा है। अगर वादीगण को मिन प्रतिवादी के कब्जे काश्त के इन्द्राज में कोई एतराज था तो उनको दुरूस्ती इन्द्राज का दावा दायर करना चाहिए था। मगर उन्होने आज तक ऐसा नही किया है। अतः वादीगण वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

दावा व जवाब दावे के बाद वाद में तनकीयात कायम की गई। जो निम्न है –

1. आया आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम चौरोटी पहाड में वादी सं0 1 का 1/3, वादी सं0 2 व 3 का 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/3 भाग है। .....वादी
2. आया जून 1977 में प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया। .....वादी
3. आया वादीगण जमीन मुतनाजा का बटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। .....वादी
4. आया प्रतिवादी सं0 2 ने जमीन प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 6.11.68 को बेच दी इसका दावे पर क्या असर है। .....प्रतिवादी
5. आया बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद वादी व प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा नही था इसलिए प्रतिवादी सं0 2 खातेदार हो गया। .....प्रतिवादी
6. आया दावे का वेरीफिकेशन सिविल रूल्स के मुताबिक नही हुआ। .....प्रतिवादी
7. आया राज्य सरकार को गलत तरीक मुकदमा बनाया गया है .....प्रतिवादी
8. आया आराजी मुतनाजा बिस्वेदारी की थी तथा वादी बिना इन्द्राज दुरूस्ती कराये दावा करने का मुश्तहक नही है । .....प्रतिवादी
9. दादरसी ?

वादीगण ने दावे के समर्थन में वादी अमरसिंह, हुकमसिंह ने हलफानामें पेश किये तथा टुण्डल, शमशेर खां जो स्वतन्त्र गवाह है उनके भी हलफनामे पेश कराये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में गिरदावरी सम्वत 2031–33 ईएक्स–1, मिलान

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

क्षेत्रफल सम्वत 2014 ईएक्स–2, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2014 ईएक्स– 3 की प्रमाण्ति प्रति पेश की गई।

प्रतिवादीगण ने कटाक्ष में धारा सिंह तथा पन्ना लाल के शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विवादित आराजी विजयसिंह से खरीदी है जिसका विक्रय पत्र पत्रावली में संलग्न है जो ईएक्सडी–5 है। खसरा गिरदावरी ईएक्सडी–1, गिरदावरी स्लिप सम्वत 2015 ईएक्सडी–2, गिरदावरी स्लिप सम्वत 2026 ईएक्सडी–3, गिरदावरी स्लिप सम्वत 2025 ईएक्सडी–4, गिरदावरी स्लिप सम्वत 2022 ईएक्सडी–6 दिनांक 07.08.2015 को मैने शपथ पत्र पेश किया जिसमें धारा सिंह के हस्ताक्षर है।

वादीगण के विद्वान वकील ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपने उपरोक्त वाद को तकसीम की हद तक विड्रा करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। वाद में काफी पक्षकारान फौत हो चुके है वाद काफी पुराना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तकसीम आराजी का वाद विड्रा किया जाता है।

वादीगण के विद्वान वकील ने लिखित बहस पेश की तथा प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि आराजी मुतनाजा बिस्वेदारी की आराजी थी जो प्रतिवादी सं0 2 के कब्जे काश्त में थी जो बरोज लागू होने बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम भी प्रतिवादी सं0 2 के ही कब्जे काश्त में थी कि जिससे मुताबिक प्रावधान बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम प्रतिवादी सं0 2 ही आराजी मुतनाजा पर काबिज होने के कारण आराजी मुतनाजा का मालिक बन चुका है और उक्त कानून के लागू होने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के आराजी मुतनाजा में अब कोई हकूक शेष नही रहे है जो भी हकूक वादीगण के थे वे राज्य सरकार में निहित हो चुके है। और वादीगण को उसका मुआवजा भी मिल चुका है कि उक्त वाकेयात के पश्चात पिछले 20 साल से प्रतिवादी सं0 2 ही तन्हा रूप से स्वयं के हकूकों के आधार पर आराजी मुतनाजा पर काबिज है और उसका उपयोग करता चला आ रहा है। अगर वादीगण को मिन प्रतिवादी के कब्जे काश्त के इन्द्राज में कोई एतराज था तो उनको दुरूस्ती इन्द्राज का दावा दायर करना चाहिए था। मगर उन्होने आज तक ऐसा नही किया है। अतः वादीगण वाद खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने उपरोक्त वाद तकसीम एवं दिलाये जाने दखल आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा 0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0. 18 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर की बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय अलवर में दिनांक 06.09.1977 को पेश किया। जो सन् 2001 में स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्रों का अध्ययन किया। तथा वादी के विद्वान वकील की लिखित बहस पर मनन किया। तनकीयात निर्णय निम्न प्रकार है–

1. आया आराजी खसरा नम्बर 685 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 730 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 731 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 735 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम चौरोटी पहाड में वादी सं0 1 का 1/3, वादी सं0 2 व 3 का 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/3 भाग है। .....वादी

   इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण ने इस तनकी के समर्थन में गिरदावरी सम्वत 2031–33 ईएक्स–1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2014 ईएक्स–2, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2014 ईएक्स– 3 पेश की है जिससे स्पष्ट होती है कि वादीगण का विवादित आराजी में हिस्सा निहित है। इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

2. आया जून 1977 में प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया। .....वादी

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने प्रदर्श–1 की फौज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें वादी अमरसिंह 1964 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सम्मलित हुए जिनका आर्मी में सिग्नल कोर में नं0 6321521 था। उस समय अरमसिंह की उम्र करीब 17 वर्ष थी। अमरसिंह के पिता का देहान्त 1958 में हो गया था। उस समय

उप खण्ड अधिकारी
(अलवर)

अमरसिंह की उम्र करीब 11 वर्ष थी। धारा 46 टीनेन्सी एक्ट 1955 का लाभ वादी ने मांगा है जो उचित है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया वादीगण जमीन मुतनाजा का बटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। .....वादी

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण वर्तमान में पक्षकार वाद में अधिक होने के कारण बंटावारे की हद तक वाद को विड्रा कर लिया। अतः इस तनकी का कोई औचित्य ही नही रहा जाता है।

4. आया प्रतिवादी सं0 2 ने जमीन प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 6.11.68 को बेच दी इसका दावे पर क्या असर है। .....प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। विवादित आराजीयात में देवीसिंह, विजय सिंह का 1/3 हिस्सा, अमर सिंह का 1/3 हिस्सा, रतन सिंह, किशन सिंह 1/3 हिस्सा है। वादी द्वारा प्रदर्श–5 सेल डीड बयनामा विजयसिंह से देवी सिंह को करना दिखाया है। जबकि विजय सिंह खातेदार ही नही है। एवं अमरसिंह, किशन सिंह रतनसिंह, जो नाबालिग थे एवं जिनको धारा 46 का लाभ दिया गया है उनकी साक्ष्य को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन नही किया है। ऐसे में विजय सिंह द्वारा किया गया बयनामा कोई महत्व नही रखता है। अतः इस तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण सफल नही हो सके।

5. आया बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद वादी व प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा नही था इसलिए प्रतिवादी सं0 2 खातेदार हो गया। .....प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद वादी व प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा नही था अपने हिस्से के अलावा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने को वैद्य कब्जा नही कहा जा सकता है और वह अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। दृष्टान्त 2012 (1) आरजे 271 एस.सी. पैरा 47 से 52 में प्रतिपादित किया है। प्रतिवादीगण इस तनकी को साबित करने असफल रहे है।

6. आया दावे का वेरीफिकेशन सिविल रूल्स के मुताबिक नही हुआ। .....प्रतिवादी

7. आया राज्य सरकार को गलत तरीक मुकदमा बनाया गया है .....प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

8. आया आराजी मुतनाजा बिस्वेदारी की थी तथा वादी बिना इन्द्राज दुरूस्ती कराये दावा करने का मुश्तहक नही है । .....प्रतिवादी

तनकी सं0 1 ला0 5 वादीगण के पक्ष में साबित साबित होने से तनकी सं0 6 ला0 8 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर प्रार्थी ने प्रदर्श–1 की फौज का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पेश किया जिसमें वादी अमरसिंह 1964 में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में सम्मलित हुए जिनका आर्मी में सिग्नल कोर में नं0 6321521 था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 17 वर्ष थी। अमरसिंह के पिता का देहान्त 1958 में हो गया था। उस समय अमरसिंह की उम्र करीब 11 वर्ष थी। धारा 46 टीनेन्सी एक्ट 1955 का लाभ वादी ने मांगा है जो उचित है।

इसी प्रकार वादी रतन सिंह एवं किशन सिंह के पिता की मृत्यु पर उम्र 11 वर्ष एवं 7 वर्ष थी जो नाबालिग थे इनको भी धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का लाभ दिया जाना उचित है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात में देवीसिंह, विजय सिंह का 1/3 हिस्सा, अमर सिंह का 1/3 हिस्सा, रतन सिंह, किशन सिंह 1/3 हिस्सा है। वादी द्वारा प्रदर्श–5 सेल डीड बयनामा विजयसिंह से देवी सिंह को करना दिखया है। जबकि विजय सिंह खातेदार ही नही है। एवं अरमसिंह,. किशन सिंह रतनसिंह, जो नाबालिग थे एवं जिनको धारा 46 का लाभ. दिया गया है उनकी साक्ष्य को प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन नही किया है। ऐसे में विजय सिंह द्वारा किया गया बयनामा कोई महत्व नही रखता है।

यहां सभी अपने–अपने हिस्से पर ही काबिज समझे जायेगें। जैसा कि 1998 आरआरजी 497, 1983 आरआरडी 598, 2001 आरआरडी 322, 2008 आरआरडी 350 में प्रतिपादित है।

अतः अपने हिस्से के अलावा प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किये जाने को वैद्य कब्जा नही कहा जा सकता है और वह अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है।

दृष्टान्त 2012 (1) आरजे 271 एस.सी. पैरा 47 से 52 में प्रतिपादित किया है। दृष्टान्त 2011(2) आरआरटी 721 पैरा 77 में रेवन्यू बोर्ड की फुल बैंच ने प्रतिपादित किया है कि ट्रेस पार्सर / एडवर्स पजेशन पर विधिक अधिकार प्राप्त नही होते। जैसा कि

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में 2012(1) आरजे 271 पैरा 47 से 52 तक प्रतिपादित किया है।

प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से यह सिद्ध करने में सफल नही हुए कि उपरोक्त आराजीयात पर उनका वैद्य कब्जा है।

आदेश

अतः दावा डिक्री कर तहसीलदार रामगढ को आदेश दिये जाते है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा 0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0.18 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर को जामबन्दी अनुसार अमरसिंह 1/3 भाग, देवीसिंह के वारिसान सोभागसिंह, गोपालसिंह, धारा सिंह, प्रहलाद सिंह, बहादुर सिंह पुत्रांन एवं हरिबाई, उर्मिला पुत्रियों एवं विजयसिंह के वारिसान राजू उर्फ राजकुमार पुत्रांन एवं श्रीमती निम्मो पुत्री को 1/3 भाग, रतन सिंह के वारिसान हुकमसिंह, नरेन्द्र सिंह, कमलसिंह, ललिता पत्नी स्व0 रतनसिंह, मोहन की पत्नी पिंकी मोहन के पुत्र नाबालिग रोहित जर्ये सरपरस्त माता पिंकी खुद, नाबालिग शैली, डोली पुत्रियान जर्ये सरपरस्त माता पिंकी खुद एवं किशन सिंह के वारिसान, शीला, कविता उर्फ किरण, गायत्री, सविता पुत्रियान, ईश्वर सिंह पुत्र को 1/3 भाग पर रिसीवर से मुक्त कर कब्जा दिया जाता है। रिसीवर के दौरान प्राप्त समस्त राशि को जमाबन्दी अनुसार उनके हिस्से अनुसार भुगतान कर दिया जावें। इसी अनुरूप पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.08.19

महेश चन्द्र मान
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय(पर्चा डिक्री)
1/14/2001	02.02.2001	05.08.2019

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़
2. रतन सिंह पुत्र गंगाबक्श (मृतक)।
   2/1 हुकमसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/2 नरेन्द्र सिंह पुत्र रतनसिह गुर्जर
   2/3 कमलसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर
   2/4 मोहनसिंह पुत्र रतनसिंह गुर्जर (मृतक)
   2/4/1 श्रीमती पिंकी बेवा स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/2 बेबी शैली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर, जर्ये सरपरस्त माता खुद मु0 श्रीमती पिंकी पत्नी मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/3 बेबी डोली पुत्री स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर, जर्ये सरपरस्त माता खुद मु0 श्रीमती पिंकी पत्नी मोहनसिंह गुर्जर
   2/4/4 मास्टर रोहित पुत्र स्व0 श्री मोहनसिंह गुर्जर जर्ये सरपरस्त माता खुद मु0 श्रीमती पिंकी पत्नी मोहनसिंह गुर्जर
   2/5 श्रीमती ललता देवी पत्नी रतन सिंह
3. किशन सिंह पुत्र गंगाबक्श जाति गुर्जर (मृतक)
   3/1 श्रीमती शीला पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/2 कविता उर्फ किरण पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/3 मु0 गायत्री पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/4 मु0 सविता पुत्री स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर
   3/5 रेखा पत्नी स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर(फौत)
   3/6 ईश्वर सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री किशन सिंह गुर्जर जातियान गुर्जर निवासीयान चौरोटी पहाड तहसील रामगढ

.....वादीगण

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   1/1 सोभागसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/2 गोपालसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/3 धारासिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/4 प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/5 बहादुरसिंह पुत्र स्व0 देवीसिंह
   1/6 हरिबाई पुत्री स्व0 देवीसिंह
   1/7 उर्मिला पुत्री स्व0 देवीसिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।
2. विजयसिंह पुत्र गणपत सिंह (मृतक)
   2/1 रमेश चन्द उर्फ रम्मी पुत्र विजय सिंह (मृतक)
   2/2 राजू पुत्र विजय सिंह

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

2/3 निम्मा स्त्री मोहनलाल पुत्री विजय सिंह जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार, रामगढ़

(दावा तकसीम व दिलाये जाने दखल बाबत)

उपस्थित अभिभाषकगण –
1. श्री धर्मपाल चौधरी एडवोकेट – वादीगण
2. श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट – प्रतिवादीगण

पर्चा डिक्री

वादीगण का दावा डिक्री कर तहसीलदार रामगढ को आदेश दिये जाते है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1188 रकबा 0.61, 1214 रकबा 0.16, 1215 रकबा 0.17, 1216 रकबा 0.68, 1217 रकबा 0.13, 1218 रकबा 0.12, 1222 रकबा 0.18 हैक्ट0 कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्ट0 वाके ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ़ जिला अलवर को जामबन्दी अनुसार अमरसिंह 1/3 भाग, देवीसिंह के वारिसान सोभागसिंह, गोपालसिंह, धारा सिंह, प्रहलाद सिंह, बहादुर सिंह पुत्रांन एवं हरिबाई, उर्मिला पुत्रियों एवं विजयसिंह के वारिसान राजू उर्फ राजकुमार पुत्रांन एवं श्रीमती निम्मो पुत्री को 1/3 भाग, रतन सिंह के वारिसान हुकमसिंह, नरेन्द्र सिंह, कमलसिंह, ललिता पत्नी स्व0 रतनसिंह, मोहन की पत्नी पिंकी मोहन के पुत्र नाबालिग रोहित जर्ये सरपरस्त माता पिंकी खुद, नाबालिग शैली, डोली पुत्रियान जर्ये सरपरस्त माता पिंकी खुद एवं किशन सिंह के वारिसान, शीला, कविता उर्फ किरण, गायत्री, सविता पुत्रियान, ईश्वर सिंह पुत्र को 1/3 भाग पर रिसीवर से मुक्त कर कब्जा दिया जाता है। रिसीवर के दौरान प्राप्त समस्त राशि को जमाबन्दी अनुसार उनके हिस्से अनुसार भुगतान कर दिया जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

05.08.19

महेश चन्द्र मान
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)